समझौता ज्ञापन
(Memorandum of Understanding)

संस्कृत विभाग, डी0बी0एस0 कॉलेज, कानपुर।

एवं

श्रीमद्भगवद् गीता एवं वैदिक वाङ्मय शोध पीठ, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

यह समझौता ज्ञापन (MOU) संस्कृत विभाग, डी0बी0एस0 कॉलेज, कानपुर एवं श्रीमद्भगवद् गीता श्रीमद्भगवद् गीता एवं वैदिक वाङ्मय शोध पीठ, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के मध्य शिक्षा, शोध, भारतीय ज्ञान परम्परा, नैतिक मूल्यों, योग, दर्शन एवं समाजोपयोगी गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

1. समझौता ज्ञापन के उद्देश्य
(Memorandum of Understanding)

(a) शैक्षणिक सहयोग के लिए एक–दूसरे से लाभकारी सम्बन्ध स्थापित करना।

(b) दोनों पक्ष एक–दूसरे के साथ समान शोध कार्य के बिन्दुओं पर विचार–विमर्श और सहभागी गतिविधियों का आदान–प्रदान करेंगे। दोनों संस्थान शिक्षण प्रविधि संकाय एवं छात्रों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध परियोजना, शोध प्रकाशन और अन्तर्सम्बन्धित गुणवत्ता उन्नयन हेतु प्रयत्नशील होंगे।

(c) दोनों पक्ष आपसी सहमति से शैक्षणिक भ्रमण एवं परियोजना निर्माण का कार्य करेंगे।

2. समझौता ज्ञापन के लक्ष्य एवं प्रकार
(Goals and Forms of Collaboration)

हस्ताक्षर करने वाली संस्थाएँ इस बात पर सहमत हैं कि समझौता ज्ञापन (MOU) के उद्देश्यों का अक्षरशः अनुपालन करेंगी।

(a) दोनों संस्थाओं के विद्यार्थी समझौते के अन्तर्गत प्रस्तुत पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का आदान–प्रदान, शोध प्रविधि, आपसी सहमति से तय क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। दोनों पक्ष प्रक्रियात्मक और अनुमानित उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।

(b) दोनों पक्ष प्रकाशित पुस्तकों का आदान–प्रदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अकादमिक परियोजना पाठ्यक्रम संचालन हेतु संगोष्ठी, कार्यशालाओं का आयोजन एवं सूचनाओं के समान उपयोग पर आदान–प्रदान करेंगे।

(c) उभयपक्ष के संकाय सदस्यों द्वारा दोनों संस्थानों में विशिष्ट विषयों पर व्याख्यान प्रदान किए जायेंगे।

(d) शोध कार्य एवं शोध क्षेत्र में छात्रों को प्रोत्साहित करने एवं विषय की गरिमा स्थापित करने का कार्य दोनों पक्षों द्वारा किया जाएगा।

3. समझौता ज्ञापन (MOU) का अनुपालन

समझौता ज्ञापन के द्वारा शिक्षक एवं शोध छात्र मिलकर पूर्ण प्रतिबद्धता से इसे अनुपालित करेंगे। इसे उभय पक्ष द्वारा सहजता से स्वीकार किया जायेगा।

4. समयावधि एवं स्थायीकरण

(a) समझौता हस्ताक्षर करने की तिथि से प्रभावी होगा। यह दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होगा। असहमति की स्थिति में दोनों पक्ष दो माह पूर्व सूचित कर समझौते से बाहर जा सकते हैं।

(b) यह समझौता तीन वर्ष तक प्रभावी होगा। आपसी सहमति से इसे और भी विस्तारित किया जा सकता है।

(c) इस समझौते के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा किसी भी प्रकार के वित्तीय एवं वैधानिक प्रतिबद्धता का वायदा नहीं किया गया है। यदि कहीं भी वित्तीय प्रावधान शामिल होते हैं, तो इसके पूर्व दोनों पक्षों को अपने उच्चाधिकारियों एवं मातृ संस्था से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(d) यह समझौता पूर्णतया अकादमिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक आदान–प्रदान के लिए स्थापित किया गया है।

इस समझौते में हस्ताक्षरित पक्ष निम्नवत हैं :–

श्रीमद्भगवद् गीता एवं वैदिक वाङ्मय शोध पीठ
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

(प्रो0 आर0 के0 द्विवेदी)
निदेशक
श्रीमद्भगवद् गीता एवं वैदिक वाङ्मय शोध पीठ
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

(डॉ0 अनिल कुमार गुप्ता)
सह–निदेशक
श्रीमद्भगवद् गीता एवं वैदिक वाङ्मय शोध पीठ
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

संस्कृत विभाग
डी0बी0एस0 कॉलेज, कानपुर

(प्रो0 अनिल कुमार मिश्रा)
प्राचार्य
डी0बी0एस0 कॉलेज, कानपुर।

Priti Rathore 20.07.2026

(प्रो0 प्रीति राठौर)
विभागाध्यक्षा, संस्कृत विभाग
डी0बी0एस0 कॉलेज, कानपुर

हस्ताक्षर गवाहान :–

1.

2.